

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2/पीएमसी/कार्य-882/2022-08/22/राँची, दिनांक 15.06.22

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- खुदिया वीयर योजना के मुख्य नहर के कि०मी०- 15.86 एवं 30.80 पर इस्केप निर्माण एवं कि०मी० 27.03 पर SLR Bridge निर्माण कार्य हेतु रु० 236.37 लाख (रु० दो करोड़ छत्तीस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन धनबाद जिलान्तर्गत खुदिया वीयर योजना के मुख्य नहर के कि०मी०- 15.86 एवं 30.80 पर इस्केप संरचना निर्माण एवं कि०मी० 27.03 पर SLR Bridge निर्माण कार्य हेतु रु० 236.37 लाख (रु० दो करोड़ छत्तीस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. कराये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नवत् है -

Sl.	Work	Cost
1	Construction of escape structure at ch. 15.860 km and 30.800 km of Khudia Main Canal.	2,19,13,888.00
2	Construction of SLR Bridge at ch. 27.030 km of Khudia Main Canal.	17,23,509.00
	Total :-	2,36,37,397.00
	Say :-	Rs. 236.37 lakh

4. यह कार्य वर्ष 2022-23 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे।
6. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।



7. इस कार्य पर होने वाला व्यय—
मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप— मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष —001— निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 78— पूर्ण एवं चालू वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य, विस्तृत शीर्ष— 05— निर्माण, 45— निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय राशि के अधीन विकलनीय होगा।
8. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2022-23 के बजट में
(i) शीर्ष — 49S — 4701 — 80 — 001 — 78 — 00 — 05 — 45 अन्तर्गत रु० 8150.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।
9. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।
10. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०—2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०—हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांक— 2/पी०एम०सी०/कार्य—882/2022—08/22-23/राँची, दिनांक 15.06.22

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-882/2022-08/22.23.70/राँची, दिनांक 15.06.22

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-882/2022-08/22.23.70/राँची, दिनांक 15.06.22

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-882/2022-08/22.23.70/राँची, दिनांक 15.06.22

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/कार्य-882/2022-08/22.23.70/राँची, दिनांक 15.06.22

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

6

